दिल्ली विकास प्राधिकरण

विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 18.03.2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त।

इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

अध्यक्ष

श्री अनिल बैजल
उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

श्री अनुराग जैन

सदस्य

1. श्री विजय कुमार सिंह
   वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.
2. श्री शैलेंद्र शर्मा
   अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.
3. श्री कामरान रिज़वी
   अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
4. श्रीमती अर्चना अग्रवाल
   सदस्य सचिव, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड
5. श्री विजेंदर गुप्ता, विधायक
6. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
7. श्री दिलीप कुमार पाण्डेय, विधायक
8. श्री ओ पी शर्मा, विधायक
9. श्री आदेश कुमार गुप्ता
   निगम पार्षद, उत्तरी दिल्ली नगर निगम

सचिव

श्री डी. सरकार

आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा.

विशेष आमंत्रिती

1. श्रीमती रेणू शर्मा

   अपर मुख्य सचिव (यूडी), जीएनसीटीडी
2. श्री मनीष कुमार गुप्ता

   सदस्य (प्रशा. एवं भूमि प्रबंधन), दि.वि.प्रा.
3. डॉ. राजीव कुमार तिवारी

   प्रधान आयुक्त (कार्मिक, भू-दृश्यांकन, आवास एवं बागवानी), दि.वि.प्रा.
4. श्री जेपी अग्रवाल

   सचिव (एल एंड बी), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
5. श्री ज्ञानेश भारती

   आयुक्त, दक्षिण दिल्ली नगर निगम
6. श्री संजय गोयल

   आयुक्त, उत्तरी दिल्ली गनर निगम
7. श्री विकास आनंद

   आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम

उपराज्यपाल के सचिव

1. श्रीमती अंकिता मिश्रा बुंदेला

   उपराज्यपाल के सचिव
2. श्रीमती तन्वी गर्ग

   उपराज्यपाल की विशेष सचिव

I. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने श्री आदेश कुमार गुप्ता, निगम पार्षद, उत्तरी दिल्ली नगर निगम का स्वागत किया, जिन्हें हाल ही में निगम द्वारा प्राधिकरण के सदस्य के रूप नियुक्त किया गया है।

II. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितगण और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

<u>मद सं. 23/2021</u>

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 10.02.2021 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।
एफ.2(03)2021/एमसी/डीडीए

श्री विजेन्द्र गुप्ता माननीय प्राधिकरण सदस्य ने दिनांक 01.03.2021 को अपने ई-मेल द्वारा दिए गए सुझाव दिनांक 10.02.2021 को आयोजित हुई दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त में संशोधन को अनुमोदित किया और इन संशोधनों को शामिल करते हुए प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

<u>मद सं. 24/2021</u>

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 10.02.2021 को आयोजित हुई बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।
एफ.2(2)2021/एमसी/डीडीए/पार्ट

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 10.02.2021 को आयोजित हुई बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) नोट की गई।

<u>मद सं. 25/2021</u>

टेक्नोलॉजी पार्क (वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट) हेतु एमसीडी सामुदायिक भवन, न्यू जाफराबाद, रोड सं. 65 के पास स्थित 1006 वर्ग मी. भूमि उपयोग को 'आवासीय' से 'उपयोगिता (यू 4 - सॉलिड वेस्ट)' में बदलने के संबंध में प्रस्ताव।
एफ.4(6)/2002-एमपी

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। मामले को अंतिम अधिसूचना हेतु आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाए।

<u>मद सं. 26/2021</u>

दिल्ली मुख्य योजना-2021 के पैरा 6.4.1.1 में नॉन-कन्फर्मिंग क्षेत्रों में गोदामों हेतु तिथि के विस्तार के संबंध में।

एफ.पीएलजी/एमपी/0014/2020/एफ-3/एडी(प्लानिंग-एमपीएंडडीसी)-III

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के सेक्शन 11 ए के अंतर्गत आपत्तियों/सुझावों को आमंत्रित करने वाली सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

<u>मद सं. 27/2021</u>

दिल्ली मुख्य योजना-2021 में वहनीय किराये वाली आवासीय परिसर (ए आर एच सी) को शामिल करने के संबंध में प्रस्ताव।

ई-फाइल सं.: पीएलजी/एमपी/0004/2021/एफ-15/- कार्यालय उप निदेशक (प्लानिंग) एम.पी. एंड डीसी

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

i. ए आर एच सी स्कीम को सार्वजनिक भूमि के साथ-साथ निजी स्वामित्व वाली भूमि पर अनुमति दी जाएगी।
ii. वर्धित (इंसेन्टिवाइज) एफएआर को भारत सरकार की नीति के अनुसार एआरएचसी के निर्माण में उपयोग में लाई जाएगी।
iii. आवासीय इकाइयों (डीयू) का आकार भारत सरकार की परिचालन दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।
iv. योजना के अंतर्गत डीयू के अधिभोग की सीमा कम से कम 3 महीने की होगी।
v. योजना के अंतर्गत आवासीय इकाइयों (डीयू) का उपयोग केवल रिहायशी उद्देश्य हेतु होगा।

पॉलिसी को उपर्युक्त टिप्पणियों को सही ढंग से शामिल करने के बाद दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के भाग 11 ए के अंतर्गत आपत्तियों/सुझावों को आमंत्रित करने हेतु 45 दिनों के लिए पब्लिक डोमेन में रखा जाए।

<u>मद सं. 28/2021</u>

दिल्ली डायनामिक पार्किंग मानदंड के लिए ड्राफ्ट नीति।

फाइल सं: एफ.15(01)2021-एमपी

निम्नलिखित संशोधनों के साथ एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव अनुमोदित किया गया:-

i. 40 वर्ग मी० से कम ई.डब्ल्यू.एस/सेवा कार्मिक आवासीय इकाइयों की पार्किंग प्रति आवासीय इकाई 0.5 ईसीएस की दर से होगी जिसे रिहायशी प्लाट-समूह आवास में जोड़ा जाए।

ii. जिला कोर्ट, एकीकृत कार्यालय परिसर, सरकारी कार्यालय (केन्द्रीय/राज्य सरकारी/स्थानीय निकायों) हेतु पार्किंग मानकों से "पार्किंग सेस हेतु पे- अप" क्लॉज को हटाया जाए।

पॉलिसी को उपर्युक्त टिप्पणियों को सही ढंग से शामिल करने के बाद दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के भाग 11 ए के अंतर्गत आपत्तियों/सुझावों को आमंत्रित करने हेतु 45 दिनों के लिए पब्लिक डोमेन में रखा जाए।

<u>मद सं. 29/2021</u>

दिल्ली में पारगमन उन्मुख विकास (टी ओ डी) हेतु अधिसूचित नीति में संशोधन।

एफ.20(7)2015/एमपी

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। मामले को अंतिम अधिसूचना हेतु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाए।

<u>मद सं. 30/2021</u>

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5ए के अंतर्गत "यमुना नदी प्रबंधन समिति" का गठन।

एफ.पीए/एसी(एलएस)/डीडीए/2020/90

सचिव, इंचार्ज, सिंचाई और जल संसाधन, हरियाणा सरकार को यमुना नदी प्रबंधन समिति (आरवाईएमसी) को सदस्य के रूप में शामिल करते हुए एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। मामले को दि.वि.प्रा. द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के भाग 57 (एए) के अंतर्गत अधिसूचित करने से पहले आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अनुमोदन हेतु भेजा जाए।

मद सं. 31/2021

दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन से प्राप्त होटलों के अतिरिक्त एफएआर के अनुदान हेतु दरों का निर्धारण।

एफ.2(163)2015/एओ(पी)डीडीए

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। मामलों को दि.वि.प्रा. द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत अधिसूचित करने से पहले आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाए।

'प्राधिकरण के माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दें'

श्री विजेंद्र गुप्ता

i. पीएम-उदय के कार्यान्वयन हेतु समय सीमा के साथ एक उचित योजना तैयार की जाए।

क) इसके अतिरिक्त, निजी भूमि पर कॉलोनियों की परिभाषित सीमाओं के बाहर के मामलों पर अनुमोदन हेतु विचार किया जाए।

ख) मुख्य योजना की सड़कों का निर्माण करना व्यवहार्य नहीं है। ऐसी सड़कों के मामलों पर अनुमोदन हेतु विचार किया जाए।

ग) जोन 'ओ' में बाढ़ क्षेत्र के बाहर से संबंधित कॉलोनियों के मामलों को अनुमोदित किया जाए।

श्री सोमनाथ भारती

i. आवासीय कॉलोनियों में दि.वि.प्रा. की खाली पड़ी भूमि पर कार पार्किंग सुविधाओं का विकास किया जाए। गौतम नगर और अर्जुन नगर में उपलब्ध दि.वि..प्रा. भूमि उपयोग अंडरग्राउंड पार्किंग के रूप में किया जाएं।
ii. यद्यपि खसरा सं. 277, हौज खास में अनधिकृत निर्माण गिराने हेतु डेमोलिशन आदेश जारी किए गए थे, लेकिन अभी तक निर्माण गिराने हेतु कार्रवाई नहीं की गई है।
iii. दि.वि.प्रा. की सलाहकार परिषद पुनर्गठित की जाए।
iv. फेथ एकेडमी द्वारा अतिक्रमण की गई दि.वि.प्रा. की भूमि को माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेशों के अनुसार खाली कराया जाए।
v. दि.वि.प्रा. लोक निर्माण विभाग गोविंदपुरी से हरिकेश नगर मेट्रो स्टेशन तक सड़क निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा।

श्री आदेश कुमार गुप्ता

i. अधिकतम आवासीय कॉलोनियों के पास अपर्याप्त कार पार्किंग है। आवासीय कॉलोनियों में मौजूदा पार्कों को भूमिगत पार्किंग के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।
ii. आनंद पर्वत पर दि.वि.प्रा. की खाली पड़ी भूमि को अतिक्रमण से बचाने हेतु इसको पार्क, बहुउद्देशीय भूमि इत्यादि जैसी सुविधाओं के विकास हेतु उपयोग में लाया जाए।

माननीय उप राज्यपाल ने बैठक में शामिल होने के लिए सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितियों और वरिष्ठ अधिकारियों का धन्यवाद किया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गई।

****